रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271702
CG-DL-E-10042026-271702

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948
No. 251] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 271(अ).— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:——

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 39 के उपनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यदि खान बहिस्राव के प्रसंस्करण के परिणामस्वरुप उसके आर्थिक मूल्य में कमी आती है तो अप्रसंस्कृत खान बहिस्राव की आरंभिक स्क्रीनिंग के बाद लंप्स और फाइन्स पर स्वामिस्व प्रभार्य होगा।"

3. उक्त नियमों में, नियम 45 में, उपनियम (12) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:——

"(13) भारतीय खान ब्यूरो प्रारंभिक मूल्य से कम तत्व वाले हेमाटाइट लौह अयस्क, जिसमें बैंडेड हेमाटाइट क्वार्टजाइट और बैंडेड हेमाटाइट जैस्पर सम्मिलित हैं, का औसत विक्रय कीमत निम्नलिखित रीति से प्रकाशित करेगा, अर्थात्:——

(क) 35% से 45% से नीचे Fe श्रेणी के लिए, औसत विक्रय कीमत 45% से 51% से नीचे Fe श्रेणी के लौह अयस्क के औसत विक्रय कीमत का पचहत्तर प्रतिशत के समतुल्य होगा;

(ख) 35% से नीचे Fe श्रेणी के लिए, औसत विक्रय कीमत 45% से 51% से नीचे Fe श्रेणी के लौह अयस्क के औसत विक्रय कीमत का पचास प्रतिशत के समतुल्य होगा।"

[फा. सं. एम. VI-1/6/2021-खान VI]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण.— खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 279(अ), तारीख 4 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 222(अ), तारीख 30 मार्च, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2026

G.S.R. 271(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Third Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 39, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case the processing of run-of-mine results in decrease in its economic value, then royalty shall be chargeable on the lumps and fines after initial screening of unprocessed run-of-mine.".

3. In the said rules, in rule 45, after sub-rule (12), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(13) The Indian Bureau of Mines shall publish average sale price of Haematite Iron Ore having Fe content below the threshold value, including Banded Haematite Quartzite and Banded Haematite Jasper in the following manner, namely:—

(a) for 35% to below 45% Fe grade, the average sale price shall be equal to seventy-five per cent. of average sale price of 45% to below 51% Fe grade of Iron Ore;

(b) for below 35% Fe grade, the average sale price shall be equal to fifty per cent. of average sale price of 45% to below 51% Fe grade of Iron Ore.".

[F. No. M.VI-1/6/2021-Mines VI]

SHAKIL ALAM, Economic Adviser

Note:- The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 279(E), dated the 4th March, 2016 and lastly amended *vide* number G.S.R. 222(E), dated the 30th March, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA